प्रतिलिपि आदेश दिनांक 22-8-14 पारित द्वारा श्री अशोक शिवहरे सदस्य राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर प्र0क्र0 निग0 1720-तीन/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 4-6-14 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी तहसील छतरपुर जिला छतरपुर प्र0क्र0 79/अपील/अ-6/अ/03-04.

ठठठठठ

ठकरा तनय भागुन्ता अहिरवार
निवासी रमपुरा सर्किल ईशानगर
तहसील व जिला छतरपुर म0प्र0 --- आवेदक

विरूद्ध

1- गन्सुआ तनय श्री मुतिया अहिरवार
निवासी रमपुरासर्किल ईशानगर ईशानगर
तहसीलव जिला छतरपुर म0प्र0 अन्य-6 -- अनावेदकगण

3

(16)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1720–तीन/14 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22-8-14	आवेदक व्दारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी, तहसील छतरपुर के अपील प्रकरण क0 79/03–04 में पारित आदेश दिनांक 04–06–04 से असन्तुष्ट होकर राजस्व मण्डल में अधीक्षक, आयुक्त कार्यालय, सागर संभाग के समक्ष दिनांक 27–05–2014 को प्रस्तुत किया है। 2/ मैने आवेदक के अधिवक्ता व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया तथा प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि का बंटन राजस्व पुस्तक परिपत्र के अन्तर्गत आवेदक के पक्ष में किया गया है। आवेदक को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील में हितबध्द पक्षकार होते हुए भी पक्षकार नहीं बनाया गया। अनावेदक गन्सुआ व्दारा 40 वर्ष पूर्व हुई प्रविष्टि को सुधार का आवेदन प्रस्तुत किया जो सुनवायी योग्य नहीं था। उनका तर्क है कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की जानकारी हल्का पटवारी से दिनांक	

22–11–2011 को प्राप्त हुई। आवेदक व्दारा निगरानी 02–01–12 को अपर कलेक्टर,छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत की जिसे अपर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 21–04–14 व्दारा संहिता में संशोधन के फलस्वरूप निगरानी सुनवायी का क्षेत्राधिकार नहीं होने से निगरानी आवेदनपत्र समक्ष न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु लौटाये जाने के आदेश दिये हैं। आवेदक व्दारा म्याद अधिनियम की धारा 5 तथा 12(2) के तहत आवेदनपत्र प्रस्तुत किया है। अतः आवेदक अधिवक्ता व्दारा विलम्ब को माफ कर निगरानी ग्राह्य करने का अनुरोध किया।

3/ अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदक गन्सुआ ने प्रश्नाधीन भूमि संवत 2009 से सन 1967–78 तक अपीलार्थी/अनावेदक के पिता के नाम दर्ज रहना बताया। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 04–06–2004 में यह निष्कर्ष निकाला है कि आराजी नं0 27, 60/22अ, 60/22 ब अधीनस्थ न्यायालय व्दारा अपीलार्थी गसुंवा तनय मूतिया के पुस्तैनी स्वत्व एवं कब्जे की माना है। अतः अनुविभागीय अधिकारी व्दारा प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया है कि तीनों पट्टाधारियों को पक्षकार बनाये और दोनों पक्षों को सुनवायी का पूर्ण अवसर देकर साक्ष्य लेकर विधि अनुसार

निर्णय पारित करें। इससे स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी व्दारा पट्टाधारियों को पक्षकार बनाकर उन्हें सुनवायी का अवसर देने के बाद प्रकरण के निराकरण के आदेश दिये हैं। अनुविभागीय अधिकारी के प्रत्यावर्तन आदेशानुसार आवेदक को अपना पक्ष विचारण तहसील न्यायालय में प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्राप्त है। ऐसी दशा में अनुविभागीय अधिकारी के प्रत्यावर्तन आदेश दिनांक 04–06–04 के विरूध्द राजस्व मण्डल में दिनांक 27–5–2014 अर्थात लगभग 10 वर्ष उपरान्त प्रस्तुत निगरानी ग्राह्य करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता। विलम्ब को न्यायहित में तभी माफ किया जा सकता है, जब विलम्ब का समुचित स्पष्टीकरण प्रमाण सहित प्रस्तुत किया जाय। अनुविभागीय अधिकारी के प्रत्यावर्तन आदेश दिनांक 04–06–04 के पालन में विचारण तहसील न्यायालय व्दारा पिछले 8–10 वर्षों में कोई कार्यवाही नहीं की गयी, इस संबंध में आवेदक व्दारा कोई कथन ना तो निगरानी आवेदनपत्र में अंकित किया है और ना ही म्याद अधिनियम के आवेदनपत्र में ही दर्शाया है। ऐसी दशा में विलम्ब को माफ कर प्रत्यावर्तन आदेश के विरूध्द प्रस्तुत निगरानी ग्राह्य योग्य नहीं है।

4/ उक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आवेदन खारिज किया जाता है। पक्षकार सूचित

हों। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालयों को भेजने के बाद राजस्व मण्डल का अभिलेख दाखिल अभिलेखागार किया जाय।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य